Research Papers

# " लैंगिक समानता हेतु विधिक उपागम"

*सुनील धावने*
फिल्ड टेक्नीशियन ;
रिसर्च स्टाफद्ध बाबा साहेब आम्बेडकर
राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू (म.प्र.)

*अनिल चौरसिया*
एम.फिल.शोधार्थी बाबा साहेब आम्बेडकर
राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू (म.प्र.)

## प्रस्तावना :–

मनुष्य एक स्वतंत्र व्यक्ति के रुप में जन्म लेता है, लेकिन परिस्थितियाँ उसके लिए पग–पग पर अवरोध उत्पन्न करती है, अपनी परतंत्रता का ज्ञान होने पर वह स्वतंत्र रुप से जीवन यापन करने का अधिकार चाहता है, उक्त परिवेश में जन्म लेने वाली नारी को भी अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता चाहिए, नारी के लिए तो स्वतंत्रता और भी अधिक मुल्यवान है, क्योंकि नारी एक परिवार, समाज, तथा देश की नींव होती है अतः नारी के बहुमुखी विकास के लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार मिलना अत्यन्त आवश्यक है।

भारतीय संविधान में की गई व्यवस्थाओं पर नजर डालें या अपनें धर्मशास्त्रों और धर्मावलम्बियों द्वारा दिए गए मतों पर गौर करें या फिर अपनी प्राचीन परम्पराओं के उदाहरण पर नजर डालें अथवा अपने देश की सर्वोच्च न्यायिक सस्थाओं के दिए मतों और नैसर्गिक सिद्धान्तों पर दृष्टिगत करें, ये सभी महिलाओं और पुरुषों में समानता की बात को सिद्धान्तया तो स्वीकार करतें है, लेकिन वास्तविक अर्थों में कही भी महिलाओं की वर्तमान स्थिति किसी भी क्षेत्र में समकक्षता की कसौटी पर आज तक सही नहीं उतरती। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा इनकी आर्थिक सामाजिक शैक्षिणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यकमों का संचालन किया गया है, महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उन्हें आर्थिक सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की ओर जाग्रत करने जैसे अहम् उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पिछले कुछ वर्षो से काफी प्रयास किए जा रहे है। वर्तमान में हमारे देश की कुल जनसंख्या 1210193422 हैं, जिसमें पुरुषों कि जनसंख्या 623724248 हैं, एंव महिलाओं कि जनसंख्या 586469174 हैं, एंव लिंगानुपात 940/1000 हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 72597564 हैं, जिसमें पुरुषों कि जनसंख्या 37612920 हैं, एंव महिलाओं कि जनसंख्या 34984645 हैं, एंव लिंगानुपात 930/1000 हैं,

1.राजकुमार, 2009, नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पेज नं. 165
2.भारत की जनगणना, 2011

### *विभिन्न कालों में महिलाओं कि स्थिति में परिवर्तन :–*

प्राचीन धार्मिक ग्रंथों व साहित्य आदि के अवलोकन से पता चलता है कि स्त्रियों की सामाजिक दशा, उनकी प्रकृति, व उनके कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित विचारों में परिवर्तन आते रहें हैं। पूर्व वैदिक काल में समाज में स्त्रियों का स्थान उच्च प्रतीत होता है। ऋग्वेद में दम्पत्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका शब्दार्थ है दम्पत्ति अर्थात् 'घर के स्वामी'। जैसा की मैकडोनल एंव कीथ ने लिखा है कि "यह शब्द उस काल में स्त्रियों की उच्च स्थिति का बोधक है क्योंकि इसमें पति और पत्नी दोनो के एक साथ होने का विचार सन्निहित हैं। अन्य प्रमाणों से भी पता चलता है कि ऋग्वेद के समय स्त्रियों का स्थान बहुत हद तक पुरुषों के समकक्ष था।

यह स्थिति बहुत अंशों में ब्राह्मण ग्रन्थों के लिखे जाने के समय तक थी। शतपथ ब्राह्मण में बतलाया गया है कि प्रजापति ने अपने को दो भागों

में विभाजित कर पति पत्नी बनाये। अतः यह एक दाने की दो दालों की भाँति है। अन्य ग्रन्थों में भी पुरुष को स्त्री के बिना अपूर्ण माना गया है और यही अर्धांगिनी की कल्पना आधार है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिरने लगी थी। शतपथ ब्राह्मण में ही, जिसमें स्त्रियों की महत्ता के सम्बन्ध में अनेक उक्तियाँ मिलती है, ऐसा कथानक शी मिलता है जिससे स्त्रियों का बौद्धिक रुप से हिन होना सिद्ध होता है।

यह सोम की चोरी की कथा है। गायत्री स्वर्ग से सोम लिये जा रही थी कि एक गन्धर्व ने उसे चुरा लिया, देवता जानते थे कि गन्धर्व लोगो को स्त्रियाँ बहुत प्रिय होती है अतः उन्होने वाक् को उनके पास श्रेजा। वाक् उनसे सोम ले आई किन्तु गन्धर्वों ने उसका पिछा किया एंव अन्त में यह निश्चय हुआ कि वाक् अपनी इच्छानुसार चाहे तो गन्धर्वों के पास रहे चाहे देवताओं के पास। पहले गन्धर्वों ने वेद का गायन कर उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। किन्तु देवताओं ने स्त्रियों की प्रकृति के ज्ञान से लाभ उठा कर वाद्य व संगीत का आयोजन किया जिसके फलस्वरुप यह अन्ततोगत्वा उनके पास आ गई।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग स्त्रियों की दशा में निश्चित रुप से ह्रास प्रारम्भ हो गया था। गौतमीय धर्मसूत्र में जो सम्भवतः उसी काल में लिखा गया, यह व्यवस्था की गई कि रजोदर्शन से पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए।

मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों के लिए विवाह यज्ञ के समान पवित्र है एंव उनके लिए विवाह ही केवल ऐसा संस्कार है जो वैद मन्त्रों के पाठ सहित किया जाता है। पति सेवा ही स्त्रियों के लिए गुरुकुल वास है। गृह कार्य, ब्रह्मचारी द्वारा किया जाने वाला दैनिक अग्नि होत्र है। इस व्यवस्था से पति को सखा के बदले गुरु का स्थान मिल गया।

---

3.सूद रीता (1991), चेन्जींग स्टेटस एण्ड एडजस्टमेंट ऑफ वूमन, मनदीप पब्लिकेशन नई दिल्ली, पेज नं. 34

4.चौहान आभा (1990), ट्रायबल वूमन एण्ड सोशल चेन्ज इन इंडिया, ए.सी. ब्रदर्स पब्लिकेशन इटावा, पेज नं. 40

5.मोर्या एस. डी., वूमन इन इंडिया (1988), चुग पब्लिकेशन इलाहाबाद, पेज नं. 05

निःसन्देह मध्य काल में पतिव्रत का ऐसा आदर्श स्थापित हो गया था जिसके अनुसार पुरुष के कर्त्तव्य तो बहुत सीमित हो गये थे किन्तु स्त्री के लिए पति को देवता मानना अनिवार्य था। वाल्मीकि रामायण में वन गमन के समय सीता को उपदेश देते समय कौशल्या कहती है कि आर्य–सवभाव वाली स्त्रियों के लिए दुष्चरित्र, कामरत या धनशून्य पति भी परम देवता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन में बहुत सी स्त्रियों ने महत्तवपूर्ण भाग लिया, इससे स्त्रियों के सम्बन्ध मे सामान्य लोगो के विचारों पर काफी प्रभाव पड़ा. राष्ट्रीय आन्दोलन ने जनतंत्र और उससे सम्बन्धित व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता आदि के आदर्शों को भी प्रचारित किया। स्त्रियों कि स्वतंत्रता व पुरुषों से उनकी समानता के आन्दोलन को बल मिला। भारतीय संविधान लिंग पर आधारित भेद को अवैधानिक ठहराता है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही वोट आदि के सभी राजनैतिक अधिकार दिये गए है।

आधुनिक युग के सामाजिक व धार्मिक सुधार आन्दोलनों ने भी स्त्रियों कि सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया है। ब्रह्म–समाज, आर्य समाज आदि आन्दोलनों ने पर्दा प्रथा का विरोध किया स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। इन आन्दोलनों के फलस्वरुप अनेक कन्या पाठशालायें स्थापित हुई।

ब्रिटिश शासन काल के प्रारम्भ से ही बहुत से ऐसे कानून बने जिनका उद्देश्य स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना था। सन् 1829 में राजा राममोहन राय आदि के प्रयत्न के परिणामस्वरुप सती प्रथा को गैरकानूनी ठहराया गया। 1856 में एक कानून द्वारा हिन्दू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई।

***लैंगिक समानता का अर्थ एंव परिभाषा :–***

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 8 के अनुसार लिंग – पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए है, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी।

यह धारा लिंग शब्द के स्पष्टीकरण में पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग हर व्यक्ति पर लागू करती है, चाहे वह नर हो या नारी। इसका तात्पर्य यह है कि यह धारा पुरुष वाचक 'वह' (भ्म) को स्त्रीवाचक 'वह' (ैम) में भी सम्मिलित करती है। गिरधर गोपाल बनाम स्टेट के वाद में इस यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दण्ड संहिता की धारा 354 की यह पदावली कि "जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा", पुरुष तथा स्त्री दोनो को अपराध के लिये उत्तरदायी बनाती है।

---

6.मोर्या एस. डी., वूमन इन इंडिया (1988), चुग पब्लिकेशन इलाहाबाद, पेज नं. 33

7.ए. आई. आर. 1953 एम. बी. 147

***''लैंगिक दुर्व्यवहार''*** के अन्तर्गत लैंगिक प्रकृति का ऐसा कोई आचरण है जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण करता है;

***सवैधानिक प्रावधान :–***

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रुप से विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की गई है, भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और उनमें किए गए महिलाओं के प्रावधान इस प्रकार है :–

विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण के अधिकार कि घोषणा की गई हैं, चाहे वह नारी हो या पुरुष, अनुच्छेद 15 (3), अनुच्छेद 15 में दिये गये सामान्य नियम का अपवाद है। यह अनुच्छेद उपबन्धित करता है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी, लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, समान रुप से

**Please cite this Article as :** *अनिल चौरसिया , सुनील धावने , " लैंगिक समानता हेतु विधिक उपागम"* **: Indian Streams Research Journal (JUNE ; 2012)**

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान रुप से प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित न करना, भारतीय संविधान द्वारा नारी क्रय–विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक लगाई है, स्त्री–पुरुष दोनो को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई हैं, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, पोषाहार जीवन–स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व,

पंचायती राज एंव नगरीय संस्थाओं में 73वें 74वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था, प्रस्तावित 84वें संशोंधन के द्वारा लोक सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण

8.चतुर्वेदी मुरलीधर, 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860, लखनऊ, पेज नं. 61
9.अनुच्छेद 14, भारत का संविधान, 1950
10.अनुच्छेद 15 (3), भारत का संविधान, 1950
11.अनुच्छेद 16, भारत का संविधान, 1950
12.अनुच्छेद 19, भारत का संविधान 1950
13.अनुच्छेद 21, भारत का संविधान, 1950
14.अनुच्छेद 23,24,, भारत का संविधान, 1950
15.अनुच्छेद 39 (घ), भारत का संविधान, 1950
16.अनुच्छेद 42, भारत का संविधान, 1950
17.अनुच्छेद 42, भारत का संविधान, 1950
18.अनुच्छेद 243 (घ,न), भारत का संविधान, 1950

की व्यवस्था, प्रस्तावित 84वें संशोंधन के द्वारा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था,

***महिलाओं से सम्बन्धित प्रमुख अधिनियम :–*** भारतीय संविधान के अन्तर्गत महिलाओं को प्रदत्त समानता के सभी अधिकारों को वास्तविकता में लागू कराने के लिए उनके सुराक्षात्मक प्रावधान कराने के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था भी की गई है एंव विशिष्ट अधिनियम बनाए गए है जो अग्रलिखित है :–

महिला कर्मकारों को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए आवश्यक रुप से अवकाश दिया जाना, प्रसूति लाभ के लिए दवा को चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की तिथि से मान्य किया जाना, भूमिगत खानों में महिलाओं के नियोजन पर रोक लगाना, कार्य दिवस के 80 दिन पूर्ण होने पर महिला कर्मियो को प्रसव/गर्भपात के लिए आवश्यक रुप से निर्धारित अवकाश तथा चिकित्सा सुविधा, महिला कर्मकारों को निर्धारित सीमा में होने पर उनके बच्चों के लिए 'शिशु सदनों' की अनिवार्य व्यवस्था, महिला श्रमिकों से बागानों में प्रातः 6 बजे से सांय 7 बजे के बीच 9 घंटे के बाद काम कराने पर प्रतिबंध, इन अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त सलाहकार समिति में एक महिला सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य करना, समान कार्य के लिए महिलाओं को भी पुरुषों के समान पारिश्रमिक की व्यवस्था, संविधान द्वारा कम उम्र की बालिकाओं (बालकों) के विवाह पर प्रतिबन्ध, कुछ विशेष नियोजनों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालयों, स्नानघरों की व्यवस्था करना, महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाना, महिलाओं को अनैतिक कार्यों में

19.अनुच्छेद 330, भारत का संविधान, 1950
20.अनुच्छेद 332, भारत का संविधान, 1950
21.बागान श्रम अधिनियम, 1951
22.कर्मचारी राज्य बीमा विनियमन अधिनियम, 1952
23.खान अधिनियम, 1952
24.प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
25.बीड़ी या सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966
26.ठेका श्रम अधिनियम, 1970
27.खान श्रमिक कल्याण निधि चुना, पत्थर और डोलोंमाइट अधिनियम, 1972, लोह मैगलीज एंव अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976
28.समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
29.बाल–विवाह निषेध अधिनियम, 1929
30.अर्न्तराज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979
31.स्त्री अशिष्ट निरुपण निषेध अधिनियम, 1986

दुरुपयोग करने वालों पर प्रतिबन्ध, विवाह में दहेज के लेन देन पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था, महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद जिन्दा जलाए जाने पर या सती होने पर प्रतिबन्ध, महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायतों में एक–तिहाई आरक्षण की व्यवस्था, गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान कराने पर रोक लगाने की व्यवस्था, जो कोई गर्भावस्था में बालिका भ्रुण की पहचान करने में लिप्त पाया जाएगा उसे चिकित्सा व्यवसाय से निष्कािषित कर दिया जाएगा, संविधान के अधिन प्रत्याभूत ऐसी महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण जो परिवार के भीतर होने वाले किसी भी प्रकार की हिंसा का का शिकार है,

***महिलाओं से सम्बन्धित विकास योजनाएँ :–*** सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई विकास कार्यक्रमों एंव कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जाता रहा है, ताकि उनके जीवन स्तर मे सुधार आ सके और विकासक्रमों में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित

हो सके, इस प्रकार महिलाओं को सशक्त व अपने आप में सक्षम बनाने के लिए केन्द्र एंव राज्य सरकारो द्वारा विशेष योजनाएँ चलाई जा रहीं है। जो इस प्रकार है :–

ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पोषाहार और शिशुओं की देखभाल करने जैसी मुलभूत सेवाएं प्रदान करना, 1999–2000 में इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रशिक्षण और अनुदान देकर स्वावलम्बी बनाना, महिलाओं को व्यवसायों जैसे–दरी, चिकन, कालीन, ब्लॉक, प्रिंटिग आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करना, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का समानता व सजगता के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, शिशुओं और माताओं को पोषाहार उपलब्ध कराकर

32.वेश्यावृति निवारण अधिनियम, 1986
33.दहेज निषेध अधिनियम, 1986
34.सती निषेध अधिनियम, 1987
35.73वाँ व 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1993
36.प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994
37.गर्भाधान चिकित्सा समाप्ति संशोधन अधिानियम, 2002
38.घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
39.ड्वाकारा योजना, 1982
40.न्यू मॉडल चरखा योजना, 1987
41.नौराडा प्रशिक्षण योजना, 1989
42.महिला समाख्या योजना, 1989

सुरक्षित मातृत्व व टीकाकरण आदि के माध्यम से शिशु व मातृ मृत्यु–दर में कमी लाना, ग्रामीण गरीब परिवारों की बालिकाओं को उचित स्वास्थ्य एंव पोषण और शिक्षा कि व्यवस्था करना, ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालना और उन्हें सश्क्त बनाना, ऋण योजना, ऋण प्रोत्साहन ***योजना, स्वसहाय समूह योजना, विपणन वित्त योजना*** :– गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार की महिलाओं मे आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाना, गरीबी की रेखा से नीचे की महिलाओं को प्रसूति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, ग्रामीण और शहरी बस्ती की महिलाओं को आर्थिक रुप से स्वावलम्बन प्रदान करना, इस योजना का उद्देश्य गरिबी रेखा से नीचे यापन करने वाली महिलाएं जो 18 वर्ष से ऊपर हो एवं जिनकी एक सन्तान हो को लाभ दिया जाता है, ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना, उन्हें जागरुक व भेदभाव के व्यवहार को समाप्त करना, गरीबी की रेखा से नीचे की बालिकाओं और महिलाओं को बिना किसी प्रीमियम भुगतान के विकलांगता की स्थिति में आत्म सम्मान के साथ जीवन जीने हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता,

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को प्रजनन एंव बाल स्वास्थ्य के विषय में आवश्यक प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक लाभ देना, गरीबी की रेखा से नीचे के पीरिवारों में जन्म लेने वाली बालिका की माँ को पौष्टिक आहार, बालिका की शिक्षा कक्षा 10 तक शैक्षिक अनुदान देकर सहायता प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक विकास के

43.मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, 1992
44.किशोरी बालिका योजना, 1992
45.महिला समृद्धि योजना, 1993
46.राष्ट्रीय महिला कोष की योजनाएँ, 1993
47.राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, 1994
48.इंदिरा महिला योजना, 1995
49.नेशनल मेटरनिटि बेनिफिट स्कीम, 1995
50.ग्रामीण महिला विकास योजना, 1996
51.राज राजेश्वरी बीमा योजना, 1997
52.स्वास्थ्य सखी योजना, 1997
53.बालिका समृद्धि योजना, 1997

अवसर प्रदान करना, महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक रुप से सशक्त बनाना, किशोरी बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य व पोषण की उचित व्यवस्था करके उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कर प्रोत्साहन देना, यह योजना मध्य प्रदेश राज्य की है जिसे वर्ष 2006 में लागू किया गया जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु गाँव के निकटवर्ती अस्पताल लाने हेतु व्यवस्था कि गई, इस योजना का उद्देश्य उन बालिकाओं के लिए है जिन्होने किसी कारणवश अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है उन्हे पुनः स्कूल में दाखिला दिलाना एवं उनकी शिक्षा नियमित रुप से चलाने बावत प्रोत्साहन राशि प्रदान कि जाती है, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रुप से कमजोर मध्य प्रदेश की महिलाओं को आत्मर्भिर बनाना, इसके लिए उन्हें सम्बन्धित रुचि अनुसार ट्रेनिंग कि व्यवस्था की जाति है, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रुप से कमजोर मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह हेतु जो कन्याएँ 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुकी है आर्थिक सयहायता प्रदान करना, प्रदेश की निर्धन एवं गरिब तबके की कन्याओ का शासकीय खर्चे पर विवाह करना एवं उन्हें समाज में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, इस योजना का

**Please cite this Article as :** *अनिल चौरसिया , सुनील धावने , ' लैंगिक समानता हेतु विधिक उपागम'* **: Indian Streams Research Journal (JUNE ; 2012)**

उद्देश्य मध्य प्रदेश की बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें 18 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 1,18,000 रुपए उनके विवाह के समय प्रदान करना जिससे भ्रुण हत्या को रोका जा सके, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के अनैतिक व्यापार को रोकने एवं उनका पुनर्वास करना है। वर्ष 2007 से 2012 पंचवर्षीय योजना में यह एकमात्र योजना है, जो महिलाओं के संरक्षण हेतु रखी गई है, इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश कि

54.डबाकुआ योजना, 1997
55.महिला स्वशक्ति योजना, 1998
56.किशोरी शक्ति योजना, 2000
57.स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना, 2000
58.जननी एक्सप्रेस योजना, 2006
59.कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, 2006
60.महलाओं के कौशल उन्नयन बावत योजना, 2006
61.अनुसूचित जाति कन्या विवाह सौभाग्यवति योजना, 2006
62.मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 2007
63.लाड़ली लक्ष्मी योजना, 2007
64.उज्जवला स्किम, 2007

महिलाओं का संरक्षण, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, घरेलू हिंसा, स्वतन्त्रता, उनके प्रति गलत व्यवहार को रोकना है, मध्य प्रदेश में शुभारम्भ 6.10.2011 को किया गया जिसका उद्देश्य बेटियों को समाज में समानता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपलब्ध करानें के साथ साथ मुख्य रुप से कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है,

***निष्कर्ष :–***

लैंगिक समानता हेतु उक्त समस्त नियम, अधिनियम, विधि एवं कानूनों का अध्ययन करने के पश्चात् निष्कर्ष के रुप में हम कह सकते कि समस्त कानूनों और विधियों के होते हुए भी लैंगिक समानता लाने में हम असमर्थ रहें हैं, यही वजह है कि हम आज भी इन कानूनों में संशोधन करना पड़ रहा है और आगे भी करते रहना पड़ेगा क्योंकि आज भी बेटा प्रिय लोगों द्वारा भ्रूण हत्या के रुप में प्रसव पूर्व लिंग परिक्षण करवाया जा रहा है, और बेटियों को जन्म से पूर्व ही समाप्त कर दिया जा रहा है, आवश्यकता है तो बस कानूनों का सख्ती से लागू करने कि और लोगो में जागरुकता लाने की।

लैंगिक समानता लाने हेतु यह एक अच्छी खबर है कि सात अरबवी बच्चे के रुप में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में नरगिस नाम कि बच्ची का जन्म 31.10.2011 को हुआ।

***सन्दर्भ सुची :–***

❖राजकुमार (2009), नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
❖सूद रीता (1991), चेन्जींग स्टेटस एण्ड एडजस्टमेंट ऑफ वूमन, मनदीप पब्लिकेशन नई दिल्ली,
❖चौहान आभा (1990), ट्रायबल वूमन एण्ड सोशल चेन्ज इन इंडिया, ए.सी. ब्रदर्स पब्लिकेशन इटावा,
❖मोर्या एस. डी. (1988), वूमन इन इंडिया चुग पब्लिकेशन इलाहाबाद,
❖विधान :–
❖भारतीय दण्ड संहिता, 1860
❖दण्ड प्रकिया संहिता, 1973
❖भारत का संविधान, 1950
❖घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

65.उषा किरण योजना, 2008
66.बेटी बचाओ अभियान, 2011

**Please cite this Article as :** *अनिल चौरसिया , सुनील धावने ,* *' लैंगिक समानता हेतु विधिक उपागम'* **: Indian Streams Research Journal (JUNE ; 2012)**